राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–पालडी जोड

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 436/2002 (112/1999)
दायरा तिथि 06.08.2002 (19.07.1999)
निर्णय तिथि 12.05.2016

वादीगण–

1–स्व.अनारसिंह पुत्र स्व.सगतसिंहजी के का.मु.–
1/1–स्व.सवाईसिंह पुत्र स्व.अनारसिंहजी के का.मु.–
1/1/1–सोहनकंवर पत्नी स्व.सवाईसिंहजी
1/1/2–भंवरसिंह पुत्र स्व.सवाईसिंहजी
1/1/3–विक्रमसिंह पुत्र स्व.सवाईसिंहजी
1/2–अर्जुनसिंह पुत्र स्व.अनारसिंहजी
1/3–मदनकंवर पुत्री स्व.अनारसिंहजी
1/4–शौभाकंवर पुत्री स्व.अनारसिंहजी
1/5–बबलाकंवर पुत्री स्व.अनारसिंहजी
2–स्व.मानसिंह पुत्र स्व.सगतसिंहजी के का.मु.–
2/1–सज्जनसिह पुत्र स्व.मानसिंहजी
2/2–लादुसिंह पुत्र स्व.मानसिंहजी
2/3–विजयसिंह पुत्र स्व.मानसिंहजी
जातिगण राजपूत निवासीगण पालडी जोड
तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)

ब
ना
मः

प्रतिवादीगण–

1–स्व.रणजीतसिंह पुत्र स्व.सगतसिंहजी के का.मु.–
1/1–उषबकंवर पुत्री स्व.रणजीतसिंहजी जाति राजपूत
निवासी हाल हुणगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
1/2–मोडसिंह पुत्र स्व.रणजीतसिंहजी
1/3–नारायणसिंह पुत्र स्व.रणजीतसिंहजी
1/4–गोविन्दसिंह पुत्र स्व.रणजीतसिंहजी
जातिगण राजपूत निवासीगण पालडी जोड
तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)
2–राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर
जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

दिनांक 12.05.2016

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–पालडी जोड में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रश्नगत् मामले में पक्षकारान मय अधिवक्ता ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया, जिसे बाद सत्यापन तस्दीक कर रेकर्ड पर लिया गया। लोक अदालत की भावना से हमने, पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप उक्त मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत इस वादपत्र के जरिए सरहद मौजा पालडी व बापूनगर, तहसील सुमेरपुर में स्थित पक्षकारों की संयुक्त कबजे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 323, 329, 674, 683, 684, 757, 326, 327, 328, 324, 325,348, 673 कुल रकबा

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

15.59 हेक्टर में से वादी सं.01 के 1/3 हिस्से, वादी सं.02 के 1/3 हिस्से व प्रतिवादी सं.01 के 1/3 हिस्से अनुसार बाई मिट्स बाउण्ड्स के तहत रेकर्ड व मौके पर बंटवाडा करवाये जाने तथा वादीगण के बंट व कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी सं.01 किसी प्रकार से हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। वादीगण की और से वादपत्र के साथ साक्ष्य दस्तावेज क्रमशः राजस्व नक्शा ट्रेस व जमाबंदी खेवट खतौनी संवत् 2052–55 की प्रमाणित प्रतियां पेश हुई है।

(2) कि उक्त वाद पत्रावली विधिक प्रक्रियां कार्यवाही के तहत शहादत वादी व जिरह हेतु विचारार्थ रहते आयोजित इस लोक अदालत केम्प में पक्षकारों ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया कि "वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में राजीनामा कर देते है कि मौजा पालडी जोड के खसरा नं. 323 से 329 व 348 कुल रकबा 10.51 हेक्टर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती आयी हुई है जो आपसी सहमति से प्रतिवादी सं.01 स्व.रणजीतसिह के कायम मुकाम को दी गई है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि मौजा बापूनगर के खसरा नं. 673, 674, 683, 684, 757 कुल रकबा 5.08 हेक्टर भूमि में से वादी सं.01 स्व.अनारसिंह के कायम मुकाम को रकबा 2.08 हेक्टर भूमि व वादी सं.02 स्व.मानसिंह के कायम मुकाम को रकबा 2.08 हेक्टर भूमि तथा शेष भूमि रकबा 0.92 हेक्टर प्रतिवादी स्व.रणजीतसिंह के कायम मुकाम के हिस्से में रखी गई है जो राजीनामा आपसी सहमति से किया गया है तथा इस भूमि पर लिया ऋण जिसके द्वारा लिया गया है उनके स्वयं द्वारा बैंक में भरपाई की जायेगी, बाद में उक्त राजीनामा अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दर्ज करवाया जायेगा।" पक्षकारों का उपरोक्त राजीनामा बाद सत्यापन तस्दीक कर रेकर्ड पर लिया गया है तथा कथित पत्रावली अन्तर्गत उल्लेखित तथ्यों व तमाम साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि पक्षकारों अर्थात वादीगण व प्रतिवादी सं.01 की संयुक्त खातेदारी भूमि होना साबित होता है और उक्त विश्लेषण वा विचारण करने के पश्चात् हमारे विधिक विचारों में प्रश्नगत् मामले में वादग्रस्त भूमि बाबत लोक अदालत की भावना से पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामा इबारत अनुसार वादपत्र स्वीकार व डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विवेचन तथ्यों के परिणामतः पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे के अनुरूप वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के जरिए राजीनामा स्वीकार व डिक्री किया जाकर पटवार सर्कल पालडी जोड, तहसील सुमेरपुर में स्थित मौजा पालडी जोड के खसरा नं. 323 से 329 व 348 कुल रकबा 10.51 हेक्टर जो पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी भूमि है, को पक्षकारों की आपसी सहमति से प्रतिवादी सं.01 स्व. रणजीतसिह के विधिक कायम मुकाम व वारिसान के नाम तथा मौजा बापूनगर के खसरा नं. 673, 674, 683, 684, 757 कुल रकबा 5.08 हेक्टर जो कि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी भूमि है, में से रकबा 2.08 हेक्टर भूमि पक्षकारों की आपसी सहमति से वादी सं.01 स्व.अनारसिंह के विधिक कायम मुकाम व वारिसान के नाम, रकबा 2.08 हेक्टर भूमि वादी सं.02 स्व.मानसिंह के विधिक कायम मुकाम व वारिसान के नाम एवं शेष भूमि रकबा 0.92 हेक्टर प्रतिवादी स्व.रणजीतसिंह के विधिक कायम मुकाम व वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदारी दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया जाता है, साथ ही पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से उपरोक्तानुसार बंटवाडा का राजीनामा पेश किया है, के बारे में जिस खातेदार द्वारा बैंक से ऋण लिया गया है वह ऋण राशि उनके स्वयं द्वारा बैंक में भरपाई की जायेगी, तद्परान्त राजीनामा व उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावे। तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का पालडी जोड उक्त निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में विधिवत् अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे। माफिक फैसला डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह फैसला बरोज आज दिनांक 12.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प पालडी जोड में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner